कार्यालय

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

लोक भवन, लखनऊ

1048/मु०मं०/अ०मु०स०-लो०भ०शि०-5/2023 दिनांक 31/10/2023

मानव सम्पदा पोर्टल (eHRMS)

कृपया मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-7/2023/293/सामान्य/47-का-4-2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से कार्मिकों का सेवा विवरण अद्यतन किए जाने, मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रान्सफर सिस्टम बनाए जाने, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (APR) प्रबन्धन, वेतन आहरण, सेवा पुस्तिका प्रबन्धन आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से पोर्टल के माध्यम से ही सम्पादित किए जाने के लिए गए निर्णय के क्रम में मानव सम्पदा पोर्टल के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2. दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 को मानव सम्पदा पोर्टल की समीक्षा की गई और पाया गया कि निर्धारित समय सीमा दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 बीत जाने के उपरान्त भी अधिकांश विभागों द्वारा शासनादेश दिनांक 03 अगस्त, 2023 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है।

3. मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा की गई है:-

(1) माह दिसम्बर, 2023 का वेतन जो 01 जनवरी, 2024 को देय होगा, वह मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही जारी किया जाए।

(2) सर्विस बुक को मानव सम्पदा पोर्टल पर ई-सर्विस बुक के रूप में परिवर्तित करते हुए सभी प्रकार के अवकाश एवं ACP आदि अन्य सेवा सम्बन्धी कार्यों का निस्तारण दिनांक 01 जनवरी, 2024 से मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही किया जाए।

(3) वर्ष 2023-24 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (APR) मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन दाखिल की जाएं।

(4) स्थानान्तरण की स्थिति में कार्यमुक्त किए जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही की जाए।

30/10/2023

30.10.2023

(एस०पी० गोयल)
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश शासन।

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उ०प्र० शासन।

2- समस्त विभागध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।